फैक्स

राजकीय रेलेवे पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश

5वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, पोस्ट बाक्स नं0 441, लखनऊ– 226153

पत्र संख्याः पीआर–26–16/2012 (3546) दिनांक अप्रैल 03, 2012

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे
उत्तर प्रदेश।

यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि पुलिस कर्मी बिना टिकट अथवा आरक्षण टिकट के बिना रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं तथा यहाँ तक कि उनमें से कुछ कर्मी वातानुकूलित कोच में यात्रियों की सीट/बर्थ पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे बोनाफाइड यात्रियों को असुविधा होती है। रेल प्रशासन द्वारा भी पुलिस कर्मियों के अनाधिकृत रुप से ट्रेनों में सफर करने की रोकथाम हेतु अनुरोध किया जाता है।

2– कृपया आप रेलवे व आरपीएफ के सहयोग से निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) पुलिस कर्मी अनाधिकृत रुप से यात्रा करने हेतु किसी भी श्रेणी के आरक्षित कोच में प्रवेश न करने पायें।

(2) जिन ट्रेनों से पुलिस कर्मी अनाधिकृत यात्रा कर रहे हों, उनकी विडियोग्राफी करायी जाये, जिससे कि ऐसे पुलिस कर्मियों की पहचान हो सके।

(3) जहाँ पर क्षेत्राधिकारी रेलवे उपलब्ध हैं, वह अपने मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहकर कार्यवाही सुनिश्चित करायें। प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी इंचार्ज ट्रेन के आने–जाने के समय प्लेटफार्म पर रहकर व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(4) यह सुनिश्चित किया जाये कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था की कोई समस्या न उत्पन्न हो और बोनाफाइड यात्रियों को असुविधा न होने पाये।

(5) अनाधिकृत यात्रा करते पकड़े जाने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उनके नियंत्रक अधिकारी को लिखा जाये।

(6) इसके लिये व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाये कि कोई भी पुलिस कर्मी बिना टिकट या अनाधिकृत रुप से ट्रेन यात्रा न करें अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
(गुरुदर्शन सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था/अपराध), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से इस सम्बन्ध में सभी जनपदीय/इकाईयों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

2– पुलिस महानिरीक्षक रेलेव, लखनऊ/इलाहाबाद व पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, इलाहाबाद/लखनऊ को भी सूचनार्थ एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।